[2021] 6 एस. सी. आर 1144

श्री श्रीनिवास के गौड़ा

वी.

कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6217)

08 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सेवा कानून-नियुक्ति-प्रथम प्रत्यर्थी में कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में नियुक्त अपीलार्थी-संस्थान-द्वारा चुनौती दी गई

तीसरा प्रत्यर्थी-एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज लिखित याचिका-खंड पीठ द्वारा स्वीकृत अपील-आयोजितः तीसरे प्रत्यर्थी और अपीलार्थी को दिए गए अंकों का चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ संबंध था-चयन समिति पर कोई दुर्भावना नहीं लगाई जा सकती थी-चयन सूची को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी चुनौती के लिए उनका एकमात्र आधार यह था कि उन्हें चुना जाना था क्योंकि

वह अधिक मेधावी था क्योंकि उसके पास बेहतर योग्यता अंक थे-इस प्रकार, चयन सूची की वैधता का निर्धारण करना और यह निर्धारित करने के लिए पूरी चयन सूची का अध्ययन करना कि क्या अपीलार्थी का चयन मनमाना था, गलत था-डिवीजन बेंच ने रिट याचिका में चुनौती की सीमाओं का उल्लंघन किया भारत का संविधान-अनुच्छेद 226 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 तीसरे उत्तरदाता ने 20 अप्रैल 2009 की पूरी चयन सूची को चुनौती नहीं दी। उन्होंने चुनौती दी कि

अपीलार्थी का चयन और अपीलार्थी के स्थान पर उसकी नियुक्ति के लिए निर्देश की मांग की। तीसरे प्रत्यर्थी ने पूरे चयन को चुनौती नहीं दी क्योंकि उसने और अपीलार्थी ने एक ही श्रेणी, अर्थात् श्रेणी 1-ओ. बी. सी. के तहत आवेदन किया था। इसका आधार

पद के लिए तीसरे प्रत्यर्थी का दावा था कि चूंकि उसने अपीलार्थी की तुलना में उच्च अंक प्राप्त किए थे

प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम में योग्यता परीक्षा, उन्हें इस पद के लिए चुना जाना चाहिए था। यह रिट अपील में था कि तीसरे प्रतिवादी ने अनुभव और साक्षात्कार के लिए अंक आवंटित करने के चयन मानदंड को चुनौती दी थी। [पैरा 13] [1153-डी-ई; 1154-ए]

1144 श्री श्रीनिवास के गौड़ा बनाम। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स।

1.2 [2021] 6 एस. सी. आर. को आवंटित अंकों को संदर्भित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले।

समिति। चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है कि समिति ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता देते हुए सेवा की अवधि के अनुपात में महत्व देने का संकल्प लिया है। 'जूनियर लैब टेक्निशियन' के पद पर चयन के लिए, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों को अस्सी-पाँच प्रतिशत का वेटेज दिया गया था। अनुभव के लिए दस अंक आवंटित किए गए थे। उम्मीदवार के व्यक्तित्व के लिए पाँच अंक आवंटित किए गए थे, जैसा कि साक्षात्कार में निर्णय लिया गया था। चयन समिति ने अनुभव के लिए अंकों के प्रावधान के लिए दो मानदंड निर्धारित किए: (क) उम्मीदवार के कार्य अनुभव की अवधि; और (ख) उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने सरकारी/स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षण अस्पतालों में काम किया था। द. किसी निजी और सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव के बीच अंतर करने पर चयन समिति का तर्क यह था कि जिन लोगों ने सरकारी संस्थान में काम किया था, वे काम करने की स्थितियों की समानता के कारण इस पद के लिए अधिक उपयुक्त होंगे।

इस तथ्य के कारण कि पहला उत्तरदाता एक सरकारी चिकित्सा संस्थान है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय को

यह निर्धारित करें कि क्या अनुभव और व्यक्तित्व की श्रेणी में अपीलार्थी को आवंटित अंक मनमाने हैं। आवेदन जमा करने के समय अपीलार्थी के पास बाबूजी मेडिकल कॉलेज, देवनगेरे (एक निजी संस्थान) में एक वर्ष का कार्य अनुभव और पहले प्रतिवादी के साथ तीन वर्ष का कार्य अनुभव था। दूसरी ओर, आवेदन के समय प्रतिवादी को एक डॉक्टर के अधीन काम करने का छह महीने का अनुभव था जो निजी प्रैक्टिस कर रहा था। अपीलार्थी के पास न केवल अधिक वर्षों का कार्य अनुभव था, बल्कि उसे एक सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव भी था। अतः, तीसरे प्रत्यर्थी और अपीलार्थी को दिए गए अंकों का मानदंड के साथ संबंध था चयन समिति द्वारा निर्धारित। चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के संदर्भ में दोनों उम्मीदवारों को आवंटित अंकों की तुलना करने पर, चयन समिति पर कोई दुर्भावना नहीं लगाई जा सकती है। वहाँ भी नहीं है

स्पष्ट या स्पष्ट त्रुटि या विकृति। न्यायालय चयन समिति के निर्णय पर अपील में नहीं बैठता है। [पैरा 15,16] [1155-बी-एच; 1156-ए]

1.3 प्रत्यर्थी ने चयन सूची या अनुभव और साक्षात्कार घटक को शामिल करने को चुनौती नहीं दी थी रिट याचिका में योग्यता सूची का निर्धारण लेकिन केवल निर्धारित मानदंडों के भीतर उनकी नियुक्ति की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी की नियुक्ति को दो आधारों पर रद्द कर दिया। सबसे पहले, साक्षात्कार और अनुभव श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए अंक थे

मनमाना माना जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, खंड पीठ ने पूरी चयन सूची का उल्लेख किया और पाया कि यह कथित है

अनुभव के लिए अंकों के आवंटन में विसंगतियां और एक पैटर्न जहां सभी चयनित उम्मीदवारों को अनुभव और साक्षात्कार के लिए उच्च अंक दिए गए थे। दूसरा, डिवीजन बेंच ने कहा कि पहले प्रतिवादी द्वारा जारी विज्ञापन में कार्य अनुभव के मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि केवल

न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ प्रदान करें। इस प्रकार, यह माना गया कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव किया गया था। डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी की नियुक्ति को यह पाते हुए दरकिनार कर दिया कि अतिरिक्त चयन मानदंड तैयार किए गए थे और उन मानदंडों में दिए गए अंक मनमाने थे। जैसा कि पहले देखा गया है, चयन सूची को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। चुनौती के लिए उनका एकमात्र आधार यह था कि उन्हें चुना जाना था क्योंकि वे 'अधिक मेधावी' थे क्योंकि उनके पास बेहतर योग्यता अंक थे। इसलिए, चयन सूची की वैधता का निर्धारण करना और यह निर्धारित करने के लिए पूरी चयन सूची का अध्ययन करना कि क्या अपीलार्थी का चयन मनमाना था, गलत था।

क्योंकि खंड पीठ ने रिट याचिका में चुनौती की सीमाओं का उल्लंघन किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर दिया गया है। [पारस 19-21]

नागराज बनाम। कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान डब्ल्यू. पी. सं. में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय। 62758

62760/2009 - संदर्भित किया गया।

के. मंजुश्री बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 3 एससीसी

512 [2008] 2 एस. सी. आर. 1025; श्री श्रीनिवास के गौड़ा बनाम।

कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स।

बिष्णु विश्वास बनाम। भारत संघ (2014) 5 एससीसी 774:

[2014] 4 एस. सी. आर. 625-लागू नहीं होता है।

मामला कानून संदर्भ

[2008] 2 एससीआर 1025

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

17

[2014] 4 एससीआर 625

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

17

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6217

2021 .

उच्च न्यायालय के 31.03.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 (एस. आर. ई. एस.) की रिट अपील No.100580 में धारवाड़ पीठ में कर्नाटक सरकार की ओर से।

एस. एन. भट, डी. पी. चतुर्वेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , परीक्षित अंगड़ी, राजेश इनामदार,

अनिरुद्ध संगनेरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. 31 मार्च 2017 के एक निर्णय द्वारा 1,

धारवाड़ में कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश 2 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया। डिवीजन बेंच ने पहले प्रतिवादी में 'जूनियर लैब टेक्निशियन' के पद के लिए अपीलकर्ता के चयन को रद्द कर दिया और उसे पद पर नियुक्ति के लिए तीसरे प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी ने डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका में इस अदालत का रुख किया। 1 अक्टूबर 2021 को छुट्टी दी गई थी।

2. 2 सितंबर 2008 को, पहले प्रतिवादी ने एक अधिसूचना जारी की।

जूनियर लैब के पद पर पैंतीस रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करना

तकनीशियन '। अधिसूचना में उपलब्ध रिक्तियों को श्रेणी के आधार पर विभाजित किया गया और चयन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

1. जूनियर लैब तकनीशियनः - सामान्य योग्यता 33 वर्ष, एससी/एसटी /

बिल्ली। I, 38 वर्ष और अन्य श्रेणी के लिए 36 वर्ष। पी. यू. सी में उत्तीर्ण रसायन विज्ञान और प्रयोगशाला तकनीशियन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ या

एस. एस. एल. सी. में उत्तीर्ण और प्रयोगशाला में 2 साल का व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1 डब्ल्यू. ए. नं. 10580/2015

2 डब्ल्यूपी सं. 63973/2009 [2021] 6 एस. सी. आर.

तकनीशियन या विज्ञान और 2 साल की प्रयोगशाला के साथ पी. यू. सी. उत्तीर्ण

पैरा मेडिकल बोर्ड, कर्नाटक द्वारा आयोजित तकनीशियन पाठ्यक्रम या एस. एस. एल. सी. में उत्तीर्ण और पैरा मेडिकल बोर्ड, कर्नाटक द्वारा आयोजित मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा।

3. अपीलार्थी और तीसरे प्रतिवादी दोनों ने श्रेणी 1 (ओ. बी. सी.) में पद के लिए आवेदन किया जिसमें एक रिक्ति का विज्ञापन दिया गया था। चयन

समिति में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा) के अतिरिक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि और प्रथम प्रत्यर्थी के निदेशक, प्राचार्य और सी. ए. ओ. 22 अगस्त 2008 को चयन समिति चयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुई। यह निर्णय लिया गया कि प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम में योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा

85 प्रतिशत में परिवर्तित। साक्षात्कार के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत अंकों में से 10 प्रतिशत अंकों को सरकारी/स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षण अस्पतालों में काम करने वालों को विशेष प्राथमिकता देते हुए चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षण अस्पतालों में कार्य अनुभव और/या अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए अलग रखा जाना था। शेष 5 प्रतिशत अंक होने थे

वाइवा-वॉस के आधार पर उम्मीदवार के व्यक्तित्व को सौंपा गया है। द. बैठक के कार्यवृत्त का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

" अतिरिक्त सचिव से बनी चयन समिति,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा शिक्षा), चिकित्सा शिक्षा निदेशक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, निदेशक, प्राचार्य और सी. ए. ओ.

किम्स, हुबली ने चयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए सुबह 11.30 पर 22.12.2008 पर एक बैठक आयोजित की (विज्ञापन दिनांकित 02.09.2008 है, इससे पहले)। यह निर्णय लिया गया कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, अनुभव की लंबाई और/या 10 अंकों की सीमा तक अतिरिक्त प्रशिक्षण के आधार पर आनुपातिक वेटेज उन उम्मीदवारों को दिया जाए जिनके पास मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पतालों में कार्य अनुभव और/या अतिरिक्त प्रशिक्षण था और विशेष रूप से वे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पतालों में काम किया था।

सरकारी/स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय शिक्षण

अस्पताल। इस बात पर सहमति बनी कि इन संस्थानों में काम का प्रकार काम करने की स्थितियों से काफी मिलता-जुलता है।

कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली और

अतः जिन उम्मीदवारों को इस तरह का अनुभव था

संस्थान सबसे उपयुक्त होंगे।

यह भी तय किया गया कि श्री श्रीनिवास के गौड़ा बनाम। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

व्यक्तित्व के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित करना

उम्मीदवार और उसकी प्रस्तुति और प्रदर्शन। द.

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों (अधिकतम 15) को जोड़ा जाएगा।

योग्यता परीक्षा में प्राप्त औसत प्रतिशत

85 प्रतिशत तक घटा। इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंक

योग्यता के क्रम में सारणीबद्ध किया जाएगा और अंतिम सूची होगी

रोस्टर प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया।

(जोर दिया गया)

अपीलार्थी ने कुल मिलाकर 66.77% अंक प्राप्त किए, जबकि तीसरा

उत्तरदाता ने पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में योग्यता परीक्षा में 76.3% अंक प्राप्त किए। पद के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साक्षात्कार 22,23 और 24 दिसंबर 2008 को आयोजित किया गया था।

4. अपीलार्थी को अनुभव श्रेणी में 9.50 अंक दिए गए थे।

तीन श्रेणियों में प्राप्त किया गया, अर्थात् योग्यता अंक, अनुभव और साक्षात्कार में, अपीलार्थी ने 70.86 अंक प्राप्त किए जबकि तीसरे प्रतिवादी ने 66.84 अंक प्राप्त किए। चूंकि अपीलार्थी ने संचयी रूप से प्राप्त किया

श्रेणी 1 में उच्चतम अंक, उन्हें 21 अप्रैल 2009 को श्रेणी 1 में जूनियर लैब तकनीशियन के पद पर नियुक्त किया गया था।

5. तीसरे प्रतिवादी ने अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की

अपीलार्थी की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान। उन्होंने इसे रद्द करने के लिए निर्देश की मांग की

अपीलार्थी की नियुक्ति और पद पर अपीलार्थी के स्थान पर उसकी नियुक्ति। यह तर्क दिया गया कि योग्यता परीक्षा में उनकी तुलना में कम अंक प्राप्त करने के बावजूद इस पद के लिए अपीलार्थी का चयन मनमाना था। अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर याचिका का विरोध किया गया थाः

((i)

तीसरे प्रत्यर्थी को संपर्क करना चाहिए था कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण उनकी शिकायतों का निवारण करेगा।

चयन समिति एक विशेषज्ञ निकाय है जो

((ख)

में अंकों के लिए 85 प्रतिशत द्विभाजित और निर्दिष्ट करने का अधिकार

पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम में योग्यता परीक्षा, 10 प्रतिशत के लिए मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थान में अनुभव और 5 प्रतिशत के लिए

विवो-वॉयस; और [2021] 6 एस. सी. आर.

अपीलार्थी ने अपना पैरा मेडिकल कोर्स 2002-2003 में पास किया।

(iii)

और पहले उत्तरदाता के अस्पताल में तीन साल का अनुभव और बापूजी मेडिकल में एक साल का अनुभव था महाविद्यालय, दावनगेरे। दूसरी ओर, तीसरे उत्तरदाता ने 2007 में अपना पैरा मेडिकल कोर्स पास किया और उसे एक निजी चिकित्सा संस्थान के तहत काम करने का केवल छह महीने का अनुभव था।

अभ्यासी।

पी. यू. सी. उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार के पास दो साल का अनुभव होना चाहिए। और (ii) चूंकि तीसरे प्रत्यर्थी के पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव नहीं था, इसलिए चयन समिति को अनुभव के शीर्ष के तहत केवल एक अंक देने में उचित ठहराया गया था।

प्रस्तुतियाँः (i) चयन प्रक्रिया को 'अंदरूनी' उम्मीदवारों के पक्ष में तिरछा कर दिया गया था, अर्थात् वे उम्मीदवार जो पहले उत्तरदाता के लिए काम कर रहे थे या जिन्होंने काम किया था; (ii) आवेदन के लिए बुलाए गए विज्ञापन में जूनियर लैब के पद के लिए अनुभव की आवश्यकता को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। तकनीशियन, हालांकि यह अन्य पदों के लिए निर्धारित किया गया था; और (iii) उपरोक्त दो कारणों से, अनुभव के आधार पर अंक प्रदान करना मनमाना है। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने आग्रह किया कि (i) चयन समिति में जिम्मेदार व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने अनुभव के लिए दस अंक (सरकारी संस्थानों में काम करने वालों की वरीयता के साथ) और साक्षात्कार के लिए 5 अंक देने का संकल्प लिया है; और (iii) न्यायालय को अपील में नहीं बैठना चाहिए और चयन के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

समिति।

8. डिवीजन बेंच ने अपील को स्वीकार कर लिया और खारिज कर दिया

अपीलार्थी का चयन और प्रथम प्रत्यर्थी को दो महीने के भीतर कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए तीसरे प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने अभिनिर्धारित किया किः

((i)

समिति, जब तक कि पक्षपात के आरोप स्थापित नहीं किए जाते हैं; बाय-लॉ नं. 10 में कहा गया है कि आयु में छूट और अन्य

((ख)

सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक पर चयन प्रक्रिया के दौरान शर्तें बनाई जा सकती हैं। हालाँकि, विज्ञापन में अलविदा श्रीनिवास के गौड़ा बनाम की प्रयोज्यता का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था।

कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकलसी. आई. ई. एन. सी. एस. और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कानून 10 लेकिन केवल यह संकेत दिया कि चयनित उम्मीदवार पहले प्रतिवादी के उपनियमों द्वारा शासित होगा;

उप-कानून अस्पष्ट है और इसमें कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं

(iii)

चयन समिति द्वारा विवेक का प्रयोग करने के लिए;

(iv) चयन समिति ने इसके बाद मानदंड विकसित किए -

विज्ञापन जारी किया गया था और चयन प्रक्रिया कब की गई थी

शुरू हुआ;

(v)

अधिकांश चयनित उम्मीदवारों को उच्च अंक दिए गए थे

9 या अनुभव श्रेणी में 9.50 अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार श्रेणी में 4.5 अंक। अंक दिए गए थे।

अनुभव के शीर्ष के तहत मनमाने ढंग सेः एक उम्मीदवार जिसके पास केवल चार महीने का अनुभव था, उसे अनुभव के लिए दो अंक दिए गए, जबकि अन्य उम्मीदवार जिनके पास अनुभव था

चार महीने से अधिक के लिए एक अंक दिया गया था

अनुभव;

(vi) अंकों को विभाजित करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

85 के अनुपात मेंः 10 : 5.विवेकाधीन अंकों के आवंटन के लिए किसी भी मानदंड की अनुपस्थिति एक निष्कर्ष की ओर ले जाती है

पक्षपात और दुर्भावना; और

(vii) अनुभव और व्यक्तित्व के लिए अंकों का विभाजन

विज्ञापन के प्रकाशन के बाद प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव किया गया।

9. अपीलार्थी ने एक विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय का रुख किया।

अदालत ने 20 जुलाई 2012 के एक आदेश द्वारा नोटिस जारी किया और इस पर रोक लगा दी

डिवीजन बेंच के फैसले का निर्णय। अपीलार्थी जो

2009 में इस पद पर आसीन हुए वे ग्यारह वर्षों तक इस पद पर बने रहे।

10. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए वकील श्री एस. एन. भट को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

टी ने निम्नलिखित आधारों का आग्रह किया हैः

के शीर्षों के तहत अपीलार्थी को आवंटित अंक

(1)

अनुभव और साक्षात्कार मनमाने नहीं हैं। अपीलार्थी को एक निजी संस्थान में एक वर्ष का अनुभव था और आवेदन की तारीख तक सरकारी चिकित्सा संस्थान में तीन वर्ष और एक महीने का अनुभव था। दूसरी ओर, तीसरे उत्तरदाता को निजी प्रैक्टिस में डॉक्टर के अधीन काम करने का केवल छह महीने का अनुभव था। प्रासंगिक समय;

((ii) हालांकि विज्ञापन में अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया था।

न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने और चयनित पूल से उम्मीदवार की उपयुक्तता की पहचान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के बीच अंतर है। चयन समिति के पास विकास करने की शक्ति है

उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड

जो में उल्लिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करते हैं

विज्ञापन;

चयन समिति ने काम को अलग करने का संकल्प लिया

(iii)

सरकारी क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वालों को अधिक महत्व देना। समिति की राय थी कि जिन उम्मीदवारों ने सरकार में काम किया है संस्थान पहले उत्तरदाता के पद के लिए अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि वे तौर-तरीकों से परिचित होंगे।

काम से। इस प्रकार, चयन समिति द्वारा आवंटित अंक एक ठोस तर्क द्वारा निर्देशित थे;

(iv) तीसरे प्रत्यर्थी ने पूरी चयन सूची को चुनौती नहीं दी है, बल्कि केवल अपीलार्थी के चयन को चुनौती दी है। इस प्रकार, न्यायालय अन्य श्रेणियों में उम्मीदवारों को प्रदान किए गए अंकों में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाने के लिए उल्लेख नहीं कर सकता था

दुर्भावनापूर्ण; और चयन सूची को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

(v)

नागराज बनाम में न्यायालय। कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान

विज्ञान 3. एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका खारिज कर दी गई थी और आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। चूँकि एकल न्यायाधीश के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, इसलिए प्रतिवादी अब न्यायाधीश की कथित मनमानेपन पर तर्क नहीं दे सकता है। चयन सूची।

11. श्री देवदत्त कमल, तीसरे की ओर से पेश वकील

एनडेंट ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

((i)

एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन

' जूनियर लैब टेक्निशियन 'अनुभव निर्धारित नहीं करता है।

मानदंड;

((ख)

चयन समिति ने सभी चयनित लोगों को समान रूप से दिया है

उम्मीदवारों के लिए, अनुभव के लिए 9.50 अंक और अनुभव के लिए 4.5 अंक

नं.

62758-62760 / 2009 श्री श्रीनिवास के गौड़ा बनाम। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

साक्षात्कार। जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है, उन्हें अनुभव और साक्षात्कार के लिए समान रूप से एक-एक अंक दिया गया था। चयन के बाद खेल के नियमों में बदलाव किया गया है।

(iii)

प्रक्रिया शुरू हो गई थी; और

(iv) योग्यता सूची से पता चलता है कि चयन समिति ने अनुभव के लिए मनमाने ढंग से अंक प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए, एक निजी संस्थान में चार महीने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को दो अंक दिए गए थे, जबकि एक निजी संस्थान में एक वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को केवल एक अंक दिया गया था।

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिए आती हैं।

13. विश्लेषण के इस चरण में एक प्रारंभिक अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है। तीसरे उत्तरदाता ने 20 अप्रैल 2009 की पूरी चयन सूची को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपीलार्थी के चयन को चुनौती दी और अपीलार्थी के स्थान पर उनकी नियुक्ति के लिए निर्देश की मांग की। तीसरे प्रत्यर्थी ने पूरे चयन को चुनौती नहीं दी क्योंकि उसने और अपीलार्थी ने एक ही श्रेणी, अर्थात् श्रेणी 1-ओ. बी. सी. के तहत आवेदन किया था। पद के लिए तीसरे उत्तरदाता के दावे का आधार यह था कि चूंकि उसने प्रयोगशाला तकनीशियन पाठ्यक्रम में योग्यता परीक्षा में अपीलार्थी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसे होना चाहिए था

इस पद के लिए चुना गया। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करते हुए तीसरे प्रतिवादी के निवेदन को नोट कियाः

" 2. [.....] यह याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसका नाम सामने आया

प्रत्यर्थी सं. के पक्ष में दिया गया था। 3 साक्षात्कार में इसके बावजूद; कि वह याचिकाकर्ता की तुलना में कम योग्य था और यह इस आधार पर है कि वर्तमान याचिका प्रतिवादी नं। 3 और उसकी अस्वीकृति

आवेदन "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

21] 6 एस सी आर।

यह रिट अपील में था कि तीसरे प्रतिवादी ने चुनौती दी थी

अनुभव और साक्षात्कार के लिए अंक आवंटित करने के चयन मानदंड। डिवीजन बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि विज्ञापन में केवल न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था और चूंकि इसमें अनुभव की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए अनुभव के लिए प्रदान किए गए अंकों के आधार पर चयन मनमाना था क्योंकि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव किया गया था।

14. 'जूनियर लैब तकनीशियन' के पद के लिए चयन सूची थी

एक अन्य कार्यवाही-नागराज (ऊपर)-में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, लेकिन रिट याचिका को एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। नागराज में, पहले उत्तरदाता में काम करने वाले आकस्मिक मजदूरों ने चुनौती दी

'जूनियर लैब टेक्निशियन' के पद के लिए चयन सूची इस आधार पर कि उन्हें नियमित किया जाना चाहिए था और पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया कि पहले प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। एकल न्यायाधीश ने निवेदन को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया

कि चयन समिति ने उप कानूनों और चयन समिति द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पद के लिए उम्मीदवारों का चयन किया था। उच्च न्यायालय ने कहाः

" 8. उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए रुख के सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद विशेष रूप से अनुलग्नक आर 1 के संदर्भ में, अधिकारियों के पास है

शर्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया और तरीके का पालन किया

और पहले के उप-कानूनों में अधिसूचित शर्तें

उत्तरदाता। चयन समिति में विशेषज्ञ होते हैं -

समृद्ध ज्ञान रखने वाले प्रासंगिक क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित हैं

श्रेणीवार चयन के लिए प्रक्रियाएँ। में लेना।

संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनके अनुभव, काम के व्यावहारिक ज्ञान के बारे में

प्रयोगशाला में, सभी उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है

उनके बेहतर अंकों को ध्यान में रखते हुए, बेहतर

अनुभव। [.....] इन सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए

पहलुओं और समय के प्रवाह के कारण, प्रार्थना द्वारा मांगी गई

याचिकाकर्ता, द्वारा विचार और हस्तक्षेप के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं

इस न्यायालय को नहीं बुलाया गया है, न ही मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार मिला है

इन रिट याचिकाओं में। इसलिए, इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है

गुणों से रहित होना "।

(जोर दिया गया)

श्री श्रीनिवास के गौड़ा बनाम। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

15. अनुभव के लिए चयन समिति द्वारा तीसरे प्रतिवादी और अपीलार्थी को आवंटित अंकों को संदर्भित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले और साक्षात्कार में, हम चयन समिति द्वारा तैयार किए गए अंकों के आवंटन के मानदंडों का उल्लेख करना आवश्यक पाते हैं। 20 अगस्त 2008 को आयोजित चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है कि समिति ने अवधि को आनुपातिक महत्व देने का संकल्प लिया है।

उन उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता के साथ, जिन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम किया है। 'जूनियर लैब टेक्निशियन' के पद पर चयन के लिए, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों को अस्सी-पाँच प्रतिशत का वेटेज दिया गया था। अनुभव के लिए दस अंक आवंटित किए गए थे। व्यक्तित्व के लिए पाँच अंक आवंटित किए गए थे

इस तथ्य के कारण कि पहला प्रतिवादी एक सरकारी चिकित्सा संस्थान है, काम करने की स्थितियों की समानता के कारण पद के लिए अधिक उपयुक्त है। 16. यह इस पृष्ठभूमि में है कि हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या अनुभव की श्रेणी में अपीलार्थी को आवंटित अंक और

व्यक्तित्व मनमाना होता है। आवेदन जमा करने के समय अपीलार्थी के पास बाबूजी मेडिकल कॉलेज, देवनगेरे (एक निजी संस्थान) में एक वर्ष का कार्य अनुभव और पहले प्रतिवादी के साथ तीन वर्ष का कार्य अनुभव था। दूसरी ओर, आवेदन के समय प्रतिवादी को एक डॉक्टर के अधीन काम करने का छह महीने का अनुभव था जो निजी प्रैक्टिस कर रहा था। अपीलार्थी के पास न केवल अधिक वर्षों का कार्य अनुभव था, बल्कि उसे एक सरकारी संस्थान में कार्य अनुभव भी था। अतः, तीसरे प्रत्यर्थी और अपीलार्थी को दिए गए अंकों का चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के साथ संबंध था। यह तीसरे प्रतिवादी का मामला नहीं है कि अपीलार्थी को कम काम होने के बावजूद अनुभव के लिए अधिक अंक दिए गए थे।

अनुभव। दोनों उम्मीदवारों को आवंटित अंकों की तुलना में [2021] 6 एस. सी. आर.

चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंड के संदर्भ में, चयन समिति पर कोई दुर्भावना नहीं लगाई जा सकती है। वहाँ भी नहीं है

एक स्पष्ट या स्पष्ट त्रुटि या विकृति। न्यायालय चयन समिति के निर्णय पर अपील में नहीं बैठता है।

17. उनकी प्रस्तुतियों के दौरान, तीसरे प्रतिवादी के वकील ने के मंजुश्री बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया।

आंध्र प्रदेश राज्य और बिष्णु विश्वास बनाम। भारत संघ 3. के. मंजुश्री में, आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा में जिला और सत्र न्यायाधीश (ग्रेड II) के दस पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया था। पहली योग्यता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त सौ अंकों और साक्षात्कार में पच्चीस में से प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई थी। हालाँकि, जब समिति के समक्ष योग्यता सूची रखी गई, तो सूची को इस आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया कि लिखित परीक्षा के अंकों को 85 में परिवर्तित किया जाना था। इसके अलावा, समिति ने एक न्यूनतम अंक भी पेश किया

साक्षात्कार के लिए योग्यता। इसलिए, लिखित (परीक्षा) और मौखिक (साक्षात्कार) अंकों के अनुपात को 4 से बदल दिया गयाः 1 3 तकः 1 और साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की एक अतिरिक्त आवश्यकता शुरू की गई थी। यह

उन उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दी गई थी जो पहली योग्यता सूची में थे लेकिन दूसरी योग्यता सूची में छूट गए थे। अंकों के अनुपात में 4 से बदलावः 1 3 तकः 1 इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि पहली योग्यता सूची प्रकाशित करते समय समिति के प्रस्ताव की गलत व्याख्या की गई थी

4 के आधार परः 1 अनुपात। हालांकि, अदालत ने माना कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों का प्रिस्क्रिप्शन अवैध था क्योंकि इस तरह के अतिरिक्त चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यकता निर्धारित की गई थी। इस संबंध में, न्यायमूर्ति रवींद्रन ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

" 33. [.....] हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम बनाने वाला प्राधिकरण चयन को विनियमित करना, नियमों द्वारा निर्धारित कर सकता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए न्यूनतम अंक, या निर्धारित कर सकता है

लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक लेकिन साक्षात्कार के लिए नहीं। लेकिन यदि चयन समिति न्यूनतम अंक निर्धारित करना चाहती है, तो उसे चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ऐसा करना चाहिए। अगर

चयन समिति केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करती है, चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले, वह या तो चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद, एक अतिरिक्त आवश्यकता नहीं जोड़ सकती है। [...] . ”

4 (2008) 3 एस. सी. सी. 512

5 (2014) 5 एस. सी. सी. 774 श्री श्रीनिवास के गौड़ा बनाम। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड ऑर्स। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

18. बिष्णु विश्वास (उपरोक्त) में, नियमों में प्रावधान किया गया था कि समूह डी के आठ पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इन आधार पर किया जाएगा -

पचास अंकों की लिखित परीक्षा। हालाँकि, लिखित परीक्षा आयोजित होने के बाद, सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए एक प्रेस सूचना जारी की गई थी, जिसके लिए पचास अंक आवंटित किए गए थे। मंजुश्री (उपरोक्त) सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, चयन सूची को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियम (साक्षात्कार घटक को शामिल करके) बदल गए थे। 19. जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, प्रत्यर्थी ने चयन सूची या अनुभव और साक्षात्कार को शामिल करने को चुनौती नहीं दी थी रिट याचिका में योग्यता सूची के निर्धारण के लिए घटक लेकिन केवल निर्धारित मानदंडों के भीतर उनकी नियुक्ति की मांग की थी। इसलिए, विष्णु विश्वास और मंजुश्री पर प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई निर्भरता तीसरे प्रत्यर्थी के मामले में सहायता नहीं करेगी।

20. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नियुक्ति को रद्द कर दिया

दो आधारों पर अपीलार्थी का। सबसे पहले, साक्षात्कार और अनुभव श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए अंकों को मनमाना माना गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, डिवीजन बेंच ने पूरी चयन सूची का उल्लेख किया और अनुभव के लिए अंकों के आवंटन में कथित विसंगतियों और एक पैटर्न पाया जिसमें सभी चयनित उम्मीदवारों को अनुभव और साक्षात्कार के लिए उच्च अंक दिए गए थे। दूसरा, डिवीजन बेंच ने कहा कि पहले प्रतिवादी द्वारा जारी विज्ञापन में कार्य अनुभव के मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि केवल न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार, यह माना गया कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव किया गया था। डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी की नियुक्ति को यह पाते हुए दरकिनार कर दिया कि अतिरिक्त चयन मानदंड तैयार किए गए थे और उन मानदंडों में दिए गए अंक मनमाने थे। जैसा कि पहले देखा गया है, चयन सूची को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। चुनौती के लिए उनका एकमात्र आधार यह था कि उन्हें चुना जाना था क्योंकि वे 'अधिक मेधावी' थे क्योंकि उनके पास बेहतर योग्यता अंक थे। इसलिए, चयन सूची की वैधता का निर्धारण करना और यह निर्धारित करने के लिए पूरी चयन सूची का अध्ययन करना कि क्या अपीलार्थी का चयन मनमाना था, गलत था क्योंकि खंड पीठ ने

21. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के 31 तारीख के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं। मार्च 2017।

22. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे